7
श्रम कल्याण

7.1 सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से वैधानिक ढांचे के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के अधिकांश कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई है । तथापि, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को इस प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कुल कार्यबल का 92 प्रतिशत हैं । श्रम कल्याण निधि की अवधारणा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है । इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा बीड़ी उद्योग में नियोजित कर्मकारों, कतिपय गैर-कोयला खानों और सिने कर्मकारों के लिए आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाँच कल्याण निधियां गठित करने हेतु अलग से विधान अधिनियमित किए गए हैं । इन निधियों का संचालन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है । असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की अन्य श्रेणियों तथा उप श्रेणियों जैसे तेंदु पत्ता तोड़ने वाले, मत्सय प्रसंस्करण उद्योग के कर्मकारों तथा नमक उद्योग कर्मकारों के लिए कल्याण निधि का विस्तार करने के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं ।

7.2 कल्याण निधियों की योजना नियोजक और कर्मचारी के विशिष्ट संबंधों के ढाँचे से अलग है क्योंकि गैर-अंशदायी आधार पर सरकार द्वारा स्त्रोत जुटाये जाते हैं व कल्याण सेवाएं प्रदान किया जाना अलग-अलग कर्मकारों के अंशदान की संबद्धता से प्रभावी नहीं होता है । गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा और केरल जैसी कुछ राज्य सरकारों ने भी इस पद्धति को अपनाया है ।

7.3 कल्याण, निधियों की सैक्टोरियल पहुंच अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त है, जिनकी क्षेत्रीय पहुँच है और जिनके लिये इनमें से अधिकांश कर्मकार भी पात्र हैं ।

श्रम कल्याण निधियाँ :

7.4 श्रम मंत्रालय बीड़ी और सिने कर्मकारों एवं गैर कोयला खान कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पाँच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है । इन कर्मकारों के कल्याण के लिए निधियाँ संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित की गई हैः-

- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946;
- चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1972;
- लौह अयस्क,मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1976
- बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम,1976, और
- सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम,1981

7.5 उपर्युक्त अधिनियमों में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निधि का उपयोग उन उपायों तथा सुविधाओं के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जो ऐसे कर्मकारों के कल्याण का प्रावधान करने के लिए आवश्यक हों । उपर्युक्त अधिनियमों में निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्यों को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं और वे संचालित की जा रही हैं :

1. स्वास्थ्य
2. सामाजिक सुरक्षा
3. शिक्षा
4. आवास
5. मनोरंजन
6. जल-आपूर्ति

7.6 श्रम कल्याण संगठन जो इन निधियों का संचालन करता है उसके प्रमुख महानिदेशक(श्रम कल्याण)/ संयुक्त सचिव हैं । उन्हें इन निधियों के संचालन में सहायता के प्रयोजन से कल्याण आयुक्त(मुख्यालय) और राज्यों में नौ क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त हैं । प्रत्येक कल्याण आयुक्त के क्षेत्राधिकार को बाक्स में दर्शाया गया है ।

कल्याण आयुक्त और उनके क्षेत्राधिकार		
क्र.सं.	**क्षेत्र का नाम**	**क्षेत्राधिकार में शामिल राज्य**
1.	कल्याण आयुक्त इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,पंजाब,जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरांचल
2.	कल्याण आयुक्त बंगलौर	कर्नाटक और केरल
3.	कल्याण आयुक्त भीलवाड़ा	गुजरात,राजस्थान और हरियाणा
4.	कल्याण आयुक्त भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	कल्याण आयुक्त कोलकाता	प.बंगाल,असम,त्रिपुरा एवं मेघालय
6.	कल्याण आयुक्त हैदराबाद	तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश
7.	कल्याण आयुक्त जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
8.	कल्याण आयुक्त करमा	बिहार और झारखंड
9.	कल्याण आयुक्त नागपुर	महाराष्ट्र एवं गोवा

सलाहकार समितियां और उनकी बैठकें :

7.7 उपर्युक्त निधियों के संचालन से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देनें के लिए संबंधित कल्याण निधि अधिनियमों के अधीन त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं । इन समितियों की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम मंत्री करते हैं । केन्द्रीय सलाहकार समितियों में 18 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष व सचिव को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के संगठनों व कर्मचारी संघों, से, प्रत्येक के 6 सदस्य लिए जाते हैं ।

7.8 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क,क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समितियों की क्रमशः दिनांक

10.10.2003, 25.08.2003 तथा 07.07.2003 को बैठकें हुई । पिछली बैठकों में, विभिन्न कल्याण योजनाओं के युक्तिकरण व सरलीकरण पर बल दिया गया ।

7.9 केन्द्रीय सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर शैक्षिक योजनाओं को युक्तियुक्त बनाया गया है । सभी 17 शैक्षिक योजनाओं को युक्तिसंगत बनाते हुए सात घटकों को एक योजना में मिला दिया गया है जैसे शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना । इससे बहुत ज्यादा छात्रों को लाभ होगा । सभी शैक्षिक हितलाभ प्राप्त करने के लिए मात्र एक पृष्ठ का एक सरल सा-आवेदन विहित किया गया है । यह निर्धारित शर्त कि हमारी सहायता प्राप्त करने के लिए छात्र ने कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है इसे अब हटा दिया गया है ।

7.10 अस्पतालों और औषधालयों के लिए औषधियों के प्रापण की पद्धति को सरल और प्रभावी बनाया गया है और कल्याण आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि वे औषधियाँ केन्द्रीय भंडार डिपो में उपलब्ध नहीं हैं तो क.रा.बी.निगम की वार्षिक दर-संविदा के आधार पर औषधियों का प्रापण करें ।

7.11 कतिपय बीमारियों के लिए प्रतिपूर्ति खर्च में भी वृद्धि की गई है जैसे गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए यह राशि एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है और कारोनरी-बाई-पास सर्जरी के लिए एक लाख से 1.3 लाख कर दी गयी है । इसी प्रकार निर्वाह भत्ते को एक से अधिक आश्रितों के लिए 750/-रुपये से बढ़ाकर 1000/-रुपये प्रतिमाह और एक आश्रित के लिए यह 600/-रुपये से बढ़ाकर 750/-रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ।

उपकर लगानाः

7.12 श्रम कल्याण निधियों का वित्त पोषण, विनिर्मित बीड़ी, फीचर फिल्मों, अभ्रक का निर्यात,चूना पत्थर और डोलोमाइट के उपभोग तथा लौह अयस्क,मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क के उपभोग और निर्यात पर संबंधित उपकर/निधि अधिनियमों के अंतर्गत नीचे दर्शाई गई दरों के अनुसार लगाए गए उपकर की आय से किया जाता है :

- बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1976 के तहत विनिर्मित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में 1रुपये से 5 रुपये प्रति हजार विनिर्मित बीड़ियों पर उपकर लेने की व्यवस्था है । अब 28.06.2000 से 1000 बीड़ी पर शुल्क 2 रुपये है ।
- सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1981 के अन्तर्गत अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रत्येक फीचर फिल्म प्रस्तुत किए जाने पर कम-से-कम एक हजार रुपये उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया है। इस उत्पाद शुल्क की अधिकतम सीमा बीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती । 20.04.2001 से प्रत्येक हिन्दी और अंगरेजी फीचर फिल्म के लिए 20,000 रुपये और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 10,000 रुपये प्रति फिल्म है ।
- लौह अयस्क, मैगनीज़ अयस्क तथा क्रोम अयस्क, खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क के लिए क्रमशः 50 पैसे से एक रुपया तथा एक रुपये से 6

रुपये और 3 रुपये से 6 रुपये के बीच उपकर की व्यवस्था है । 11.09.2001 से लौह अयस्क पर उपकर की दर 2 रुपये प्रति मीट्रिक टन है । मैगनीज अयस्क पर यह 4 रुपये प्रति मीट्रिक टन और क्रोम अयस्क पर 6 रुपये प्रति मीट्रिक टन है ।

- चूना पत्थर और खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1972 में ऐसी दर पर चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर लगाने और एकत्र करने की व्यवस्था है जो चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रति मीट्रिक टन पर एक रुपये के उत्पाद शुल्क से अधिक न हो । 27.12.2000 से चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर की दर एक रुपया है ।
- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946 में 6.25% से अनधिक न हो समतुल्य आधार पर अभ्रक निर्यात की सभी किस्म के अभ्रक पर सीमा शुल्क के रूप में उपकर की लेवी और वसूली के लिए व्यवस्था है । 01.11.1990 से निर्यात पर मूल्यानुसार यह 4.5% के समतुल्य है ।

कल्याण निधियों की उपलब्धियां

	2002-03	2003-04
कल्याण निधियों का उपयोग	81.80 करोड़ रुपये	98.09 करोड़ रुपये
उपकर एकत्रीकरण	104.41 करोड़ रुपये	अनुपलब्ध
स्वास्थ्य देखरेख प्रसुविधा पर व्यय	34.80 करोड़ रुपये	73.50 करोड़ रुपये
औषधालयों/अस्पतालों में उपचारित रोगियों की संख्या	50.35 लाख	36.04 लाख(जनवरी,2004 तक)
आवास के लिए स्वीकृत सहायता	10.19 करोड़ रुपये	11.03 करोड़ रुपये
शैक्षिक सहायता पर व्यय	30.41 करोड़ रुपये	43.25 करोड़ रुपये
मनोरंजन सुविधाओं पर व्यय	0.68 करोड़ रुपये	0.62 करोड़ रुपये